

17.5.18 पत्रावली राजस्व विभाग, जयपुर, न्याय  
 आफिस द्वारा 2018 में अटल सेवा केन्द्र द्वारा निम्नलिखित  
 पेशा इंदी लक्ष्मीलाल पुत्र लाल ने रिपोर्ट एवं  
 जमावन्दी की नकलें पेश कर निवेदन किया है  
 कि वादग्रस्त भूमि को प्राविगरी गणेशपुरा द्विगद  
 व्यक्ति को विक्रय कर दी है। हमने पत्रावली  
 एवं मसतुल रिपोर्ट का अवलोकन किया तो  
 वाद स्वामी निवेदनका है, प्राविगरी द्वारा  
 अपनी आराखी का बंनान करने पर उनके विरुद्ध  
 अलकाइ वाद करण नहीं रहा है अतः वाद का न्याय  
 नकारित किया गया है। वादी गौड़ लाल के लालके  
 विरुद्ध प्रथम से वाद पेश करने का गौड़ लाल स्वयं  
 है। पत्रावली प्रसूत सुमार होकर दर्ज नकल से  
 कम है। आदेश मजिस्ट्रेट आफिस में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
 सांभरलेक